प्रेस विज्ञप्ति

August 4, 2022

छत्तीसगढ़: कांग्रेस के 2018 के चुनावी घोषणापत्र में खनन और संबद्ध गतिविधियों का वादा अभी तक लागू नहीं किया गया:

छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए वर्ष 2018 के चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए किए गए वादों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

सरकार गठन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी जन घोषणापत्र में किये गए खनन से जुड़े अपने पांच वादों को कांग्रेस पूरा करने में विफल रही है. जबकि, यह वादे, देश की राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अनुरूप ही हैं, जिसमें कहा गया है कि "खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधन एक साझा विरासत हैं, जहां राज्य लोगों की ओर से ट्रस्टी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों को विरासत का लाभ मिले। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि निकाले गए खनिजों का पूरा मूल्य राज्य को मिले "

चूंकि, भावी पीढ़ियों के हित में प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसलिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे और अपने वादों को निभाए। कांग्रेस को अपने वादों को पूरा करना चाहिए और, वह तब इसलिए भी जरुरी है चाहिए, जब अगला चुनाव एक साल से अधिक दूर नहीं है।

कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में खनन एवं उससे जुड़े कार्यों में यह पांच वादे किये गए हैं-

1. जिला खनिज न्यास निधि के नियमों में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निधि का 50% खनन प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के लिये, 25 प्रतिशत निधि प्रभावित ब्लाक के लिये तथा 25 प्रतिशत प्रभावित जिले के विकास कार्यों में किया जायेगा।

2. अगली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए, अंतर-पीढ़ीगत हिस्सेदारी के सिद्धांतों के आधार पर एक नीति तैयार की जाएगी जिसके लिए एक वैज्ञानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अर्थशास्त्री और सामाजिक संगठन भी सदस्य के रूप में भाग लेंगे।

3. एक उत्खनन नीति तैयार की जाएगी जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खनन पट्टा आवंटित किया जाएगा।

4. गौण खनिज खनन नीति की समीक्षा कर इसके व्यापार को सुगम बनाया जायेगा तथा पारदर्शिता लायी जायेगी तथा शासन के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये नीति का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जायेगा। सभी विकास गतिविधियों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध गौण खनिजों को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय रूप से उपलब्ध गौण खनिजों के उपलब्ध न होने पर ही आयात किया जाएगा।

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गौण खनन से अर्जित सभी रॉयल्टी का उपयोग खनन से 5 किमी के दायरे के भीतर के क्षेत्रों के विकास कार्यों में ही किया जाएगा।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपने वादे मुताबिक, राज्य सरकार एक वैज्ञानिक आयोग की स्थापना करे, जो अंतर-पीढ़ीगत हिस्सेदारी के सिद्धांत पर आधारित नीति विकसित करने में मदद करे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनिज संपदा में छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ियों का भी उतना ही हिस्सा विरासत में मिलना चाहिए, जितना हमें मिला है।

आदिवासी जन वन अधिकार मंच की इंदु नेताम ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि, *"छत्तीसगढ़ सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को भूल गई है। हम उन्हें उनके द्वारा किए गए वादों की याद दिलाना जारी रखेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि, वर्तमान पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करते हुए इसके लाभों तक समान पहुंच होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में हो रहे खनिज संपदा के भारी नुकसान से अवगत हैं, उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा था कि कैसे छत्तीसगढ़ के लोगों और आने*

वाली पीढ़ियों को कोयला नीलामी के दौरान 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, हालांकि, केंद्र ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया।"

मिनरल इन्हेरिटर्स राइट्स एसोसिशन (मीरा) के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र भेजकर राज्य सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में उल्लिखित 5 खनन संबंधी प्रतिबद्धताओं की याद दिलाते हुए कहा है कि गौण खनिजों के संक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता की कमी है, अतः, उसे संचालित करने के लिए एक पारदर्शी पोर्टल की मांग की जा रही है। सार्थक संस्था के लक्ष्मी चौहान ने सुझाव दिया कि, *"छत्तीसगढ़ सरकार को ग्राम सभा द्वारा संचालित स्थानीय सहकारी समितियों को गौण खनिज पट्टे देने पर विचार करना चाहिए। खनिज संसाधनों की स्थिरता और उससे प्राप्त धन के वितरण के लिए खनिजों का सामुदायिक स्वामित्व और समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।"*

अधिक जानकारी के लिए हमें यहां लिखें:
miracoalition2020@gmail.com